

सीबीईसी 20/16/04/2017-जीएसटी
भारत सरकार
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केंद्रीय कर (सभी)/ प्रधान महानिदेशक/ महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय:- दवाओ के समयावधि समाप्ति के उपरांत उन्हें वापस करने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए परिपत्र-

जीएसटी कानून के अंतर्गत दवाओं की समयावधि के उपरांत उन्हें वापस करने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए अनेक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। कथित प्रतिवेदनों में उठाए गए मुद्दों की जांच की गई और क्षेत्र गठन के दौरान कानून की कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168(1) (इसके बाद 'सीजीएसटी अधिनियम' के रूप में जाना जाता है), इसके द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आगामी पैराग्राफ में एतद्वारा मुद्दे को स्पष्ट करता है:-

2. दवा क्षेत्र में सामान्य व्यापारिक प्रचलन है कि दवाईयां (जिन्हें इसके बाद 'माल' के रूप में संदर्भित किया जाता है) विनिर्माताओं द्वारा यदि विक्रेता की और थोक विक्रेता द्वारा खुदरा विक्रेता को इनवायस/आपूर्ति बिल के आधार पर जैसा भी मामला हो, बेची जाती है। ऐसा उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ऐसे माल की परिभाषित समयावधि है जिसे सामान्यतः तारीख

की समाप्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसा माल जिस पर उसकी समाप्ति तारीख को क्रास किया गया है, उन्हें बोलचाल की भाषा में समयावधि समाप्ति का माल और उन्हें विनयमितता को समयावधि समाप्ति के कारण आपूर्ति चेन के माध्यम से वापस लौटा दिया जाता है।

3. यह स्पष्ट किया गया है कि समयावधि समाप्ति वाले माल को वापस लौटाने के लिए खुदरा विक्रेता/थोक विक्रेता निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कोई प्रक्रिया अपना सकता है।

(ए) समयावधि समाप्त माल को नई आपूर्ति मानकर लौटाना।

(क) यदि कालातीत माल को लौटाने वाला व्यक्ति पंजीकृत व्यक्ति (कम्पोजिशन करदाता से भिन्न) होता है, तो वह इसे अपने विकल्प के तौर पर उक्त माल को ऐसे लौटाता है जैसे कि वह नई हो और उसके अनुसार कोई इन्वॉयस जारी करता है (एतश्मिन पश्चात जिसे “लौटाई जाने वाली आपूर्ति” से संदर्भित किया गया है) तो उक्त माल का मूल्य, जैसा कि उस बीजक में दर्शाया गया हो जिसके आधार पर इस माल की आपूर्ति पहले की गयी हो अब ऐसे लौटायी जाने वाली आपूर्ति का मूल्य जो कि उस इन्वॉयस में दर्शाया गया हो जिसके आधार पर आपूर्ति की गयी थी, ऐसे लौटायी गयी आपूर्ति का मूल्य माना जायेगा। थोक विक्रेता या विनिर्माता, जैसी भी स्थिति हो जो कि ऐसी लौटायी गयी आपूर्ति का प्राप्तकर्ता हो। उक्त लौटायी गयी आपूर्ति पर लगाये गये कर के एवज में इनपुट टैक्स क्रेडिट (एतश्मिन पश्चात जिसे “आईटीसी” से संदर्भित किया गया है) को प्राप्त करने का हकदार होगा। बशर्ते कि सीजीएसटी एक्ट की धारा 16 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हो।

(ख) यदि कालातीत वस्तु को लौटाने वाला व्यक्ति कम्पोजिशन टैक्सपेयर होता है तो वह उक्त माल को बिल ऑफ सप्लाइ जारी करके लौटा सकता है और उस दर से कर का भुगतान कर सकता है जो कम्पोजिशन टैक्सपेयर पर लगता है। इस परिदृश्य में लौटाई जाने वाली आपूर्ति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आईटीसी नहीं मिलेगी।

(ग) यदि कालातीत वस्तु को लौटाने वाला व्यक्ति गैर पंजीकृत व्यक्ति होता है तो वह उसको उस पर बिना कर लगाये वाणिज्यिक दस्तावेज जारी करके लौटा सकता है।

(घ) जब कोई कालातीत वस्तु जो कि फुटकर/थोक विक्रेता के द्वारा लौटायी गयी हो और विनिर्माता के द्वारा नष्ट कर दी गयी हो तो उसको सीजीएसटी एक्ट की धारा 17 की उपधारा

(5) के उपवाक्य (ज) के प्रावधानों के अनुसार उस पर प्राप्त की गयी आईटीसी को लौटाना होगा। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ऐसी आईटीसी जो कि इस परिदृश्य के

तहत लौटायी जानी है वही आईटीसी होनी चाहिए जो कि लौटायी गयी आपूर्ति पर प्राप्त की गयी हो न कि वह आईटीसी जो कि ऐसे कालातीत वस्तु पर विनिर्माता को देय हो।

स्पष्टीकरण: मान लीजिए कि किसी विनिर्माता ने 100 रु. के मूल्य की दवा के विनिर्माण के समय 10 रु. की आईटीसी प्राप्त की है। कालातीत हो जाने के कारण ऐसी दवा को लौटाये जाने के समय थोक विक्रेता के द्वारा जारी किए गये नये इन्वॉयस के आधार पर विनिर्माता को प्राप्त होने वाली आईटीसी 15 रु. की होती है। तो जब विनिर्माता इस कालातीत वस्तु को नष्ट करता है तो उसे 15 रु. की आईटीसी को लौटाना होगा न कि 10 रु. की।

(ख) क्रेडिट नोट को जारी करके कालातीत वस्तु को लौटाना:

(क) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के अनुसार आपूर्तिकर्ता एक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है जहां प्राप्तकर्ता द्वारा माल वापस किया जाता है, इसलिए, विनिर्माता अथवा थोक विक्रेता जिसने थोक विक्रेता अथवा खुदरा विक्रेता को माल आपूर्ति किया है, जैसा भी मामला हो, उसके पास थोक विक्रेता अथवा खुदरा विक्रेता द्वारा जैसा भी मामला हो, समयावधि समाप्त माल को वापस करने के संबंध में एक क्रेडिट नोट जारी करने का विकल्प है। इस परिदृश्य में खुदरा विक्रेता अथवा थोक विक्रेता एक डिलीवरी चालान जारी करके समयावधि समाप्त माल को वापस कर सकता है। यह नोट किया जा सकता है कि सितम्बर माह से पूर्व और वित्तीय वर्ष के समाप्त होने और उसके बाद क्रेडिट नोट जारी किए जाने के मामले में कर देयता के समायोजन किए जाने के अलावा कानून में क्रेडिट नोट जारी करने की कोई समय सीमा नहीं है।

(ख) इसके आगे यह भी नोट किया जाए कि यदि क्रेडिट नोट सीजीएसटी अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समयसीमा के अन्दर जारी किया जाता है तो आपूर्तिकर्ता द्वारा इस शर्त पर करदेयता समायोजित की जा सकती है कि वह व्यक्ति जो समयावधि समाप्त माल को वापस कर रहा है, उसने न तो आईटीसी का लाभ लिया है अथवा यदि उसने आईटीसी का लाभ लिया हुआ है तो उसे वापस कर दे या जिस लाभ को उसने माल वापस करते समय लिया हो।

(ग) तथापि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समयसीमा समाप्त हो गई है, तो आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की वापसी के लिए एक क्रेडिट नोट जारी किया जा सकता है, किन्तु कर देयता उसके द्वारा समायोजित नहीं की जा सकती है इसके अलावा आगे यह भी ध्यान दिया जाए कि यदि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समयावधि से परे समयावधि समाप्ति माल लौटाया जाता है और एक क्रेडिट नोट जारी किया जाता है, तो इस आपूर्तिकर्ता द्वारा इस सामान्य पोर्टल पर (उस व्यक्ति द्वारा जिसने क्रेडिट नोट जारी किया है) इस तरह के क्रेडिट नोट को घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे मामले में कर देयता के रूप में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(घ) आगे, जहाँ समयावधि समाप्ति माल, जो रिटेलर/थोक विक्रेता द्वारा वापस कर दिया गया है, निर्माता द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। जीएसटी अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के प्रावधानों के संदर्भ में, ऐसे सामानों के निर्माण के लिए आईटीसी को वापस करना आवश्यक है। इसका वर्णन नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

	निर्माता/थोक व्यापारी से थोक व्यापारी/खुदरा विक्रेता को माल की आपूर्ति की तारीख	खुदरा विक्रेता/थोक व्यापारी से समयावधि समाप्त माल की वापसी की तारीख से थोक व्यापारी/उत्पादक	कर देयता और क्रेडिट नोट के संदर्भ में उपचार
मामला 1	1 जुलाई, 2017	20 सितम्बर, 2018	क्रेडिट नोट आपूर्तिकर्ता(निर्माता/थोक व्यापारी) द्वारा जारी किया जाएगा और उसे सामान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद, कर देयता को ऐसे आपूर्तिकर्ता द्वारा समायोजित किया जा

			सकता है, बशर्ते प्राप्तकर्ता (थोक व्यापारी/खुदरा विक्रेता) ने या तो आईटीसी का लाभ नहीं उठाया हो। अथवा आईटीसी द्वारा लाभ उठाया गया है, तो वापस किया जाना आवश्यक है।
मामला 2	1 जुलाई, 2017	20 अक्टूबर, 2018	आपूर्तिकर्ता (निर्माता/थोक व्यापारी) द्वारा क्रेडिट नोट जारी किया जाएगा, लेकिन सामान्य पोर्टल पर इसे अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ऐसे आपूर्तिकर्ता कर देयता को समायोजित नहीं किया जा सकता है।

3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि यद्यपि यह परिपत्र समयावधि समाप्ति के कारण माल की वापसी के संबंध में परिदृश्यों पर चर्चा करता है, यह ऐसे अन्य परिदृश्यों पर लागू हो सकता है जहाँ माल ऊपर दिए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों के कारण लौटाया जाता है।

4. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री के प्रचार के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

5. इस परिपत्र के कार्यान्वयन में कठिनाई यदि कोई है, तो बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

(उपेंद्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)